(रक्षा विभाग)

(सीमा सड़क विकास मंडल)

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् .-का.नि.आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (निदेशक (प्रशासन) तथा संयुक्त निदेशक (प्रशासन)) भर्ती नियम, 2003 तथा साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (गैर-तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, यहां मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, सीमा सुड़क संगठन में (प्रशासनिक कैंडर) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन,

इंजीनियर बल, प्रशासनिक अधिकारी कैंडर, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2017 है। सामान्य रिजर्व

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

लागू होना – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं। मतीं की पदति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि — भृती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें

निरर्हता : वह व्यक्ति :-

(क) (ख) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

संविदा की है, ्रिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुड़ोय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से

किसी उसके लिए जो कारण हैं उन्हें वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह गए जो कारण हैं जन्हें लेखबद्ध करके तथा संघू लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को

व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

		(प्रशासन)	1. निदेशक				भद्र का नाम
सकता है।	• कायमार के आधार पर परिवर्तन किया जा	समूह क	2 (2017)	2			पद का नाम पदा का सख्या
	अननुसचिवीय	समूह क', राजपत्रित,	साधारण केन्द्रीय केन	3		4.1147401.4	and a man
		स्तर 13	4		स्तर	वतन मैट्रिक्स में चयन	
		ययन	5		अचयन पद		
		लागू नहीं होता	6		व्यक्तियों के लिए आय	या सीधी भर्ती किए जाने ताने	

2	लाग नहीं होता		7				शाक्षक और अन्य अर्हताएं और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	Wilb Lills Achi IIVI. IIVI
तानु नहां होता	300 34 3	œ			या नहीं	व्यक्तियों की दशा में लाग होंगी।	और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	व्यक्तियों के लिए विहित आग्र	साधा भता किए जाने वाले
लागू नहीं होता		9				7	C.	रो अवाच, याद काइ	The Charles of The Halfelin
प्रोन्नति द्वारा	10		प्रातशतता	जान वाली रिक्तयों की	तथा विभिन् पद्धतियों द्वारा भरी	प्रातान्युक्त या आमेलन द्वारा	हागी या प्रोन्नति द्वारा या	भती की पद्धतिः भर्ती सीधी	

ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों के संबंध में, 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 3. महानिदेशक, सीमा सड़क जाएगा, परंत यह तम जन है.	सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'एफ,' या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकेडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	प्रोन्नति : ऐसे संयुक्त निदेशक (प्रशासन) जिन्होंने समूह 'क' विभ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान में पाँच वर्ष लिए विचार क की नियमित सेवा की हो और संविवालय प्रशिक्षण मिलकर बनेगी:— एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय संविवालय	11	दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रोन्नोते या प्रतिनियित या आमेनन नाम कन्य की
	 सिचेव, सीमा सङ्क विकास मंडल – सदस्य महानिदेशक, सीमा सङ्क – सदस्य 	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष	प्रोन्नित : ऐसे संयुक्त निदेशक (प्रशासन) जिन्होंने समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संघ लोक वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान में पाँच वर्ष लिए विचार करने के लिए) निम्निलिखत से आयोग से एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय प्रशिक्षण मिलकर बनेगी:— अवश्यक नर्ष्ट		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	anhara zen ara 61 a a
			13 संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	आयाग से परामर्श किया जाएगा	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा	[PART II—SEC. 4]

2. संयुक्त निदेशक 19• (2017) साधारण केन्द्रीय सेवा. स्तर 12 चयन लागू नहीं होता (प्रशासन) • कार्यभार के आधार पर समूह 'क', राजपत्रित, हो। अननुसिववीय					
2 3 4 5 साधारण केन्द्रीय सेवा, स्तर 12 चयन के आधार पर समूह 'क', राजपत्रित, या जा सकता अननुसचिवीय	7			2. संयुक्त निदेशक	
4 5 स्तर 12 चयन		है।	• कार्यभार के आधार	19 (2017)	2
4 5 यथन		कताउ नयाय	पर समूह 'क', राजपत्रित,	साधारण केन्द्रीय सेवा	ω
			71 712	4	
6 लागू नहीं होता			ਰ ਪ	5	
			लागू नहीं होता	6	

लागू नहीं होता
8 लागू नहीं होता
9 लागू नहीं होता
10 प्रोन्नति द्वारा

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'ई' या समकक्ष प्रशिक्षण राज्यक्ष या सदस्य, सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा सड़क संगठन संघ लोक सेवा आय की प्रशिक्षण एकेडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रतिवेद, सीमा सड़व प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। प्रोन्निति : ऐसे वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' विभागीय प्रोन्निति समिति (प्रोन्निति वितन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान में पाँच वर्ष लिए विचार करने के लिए) निम्निलिखित की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण एवं मिलकर बनेगी:-_ 3. महानिदेशक, सीमा सड़क 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सदस्य सदस्य के संघ लोक सेवा आयोग नहीं है। परामर्श 3 आवश्यक

कम हों, व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ सेवा के में जो भी

			अधिकारी	वरिष्ठ	
			7	3. वरिष्ठ प्रशासनिक 56• (2017)	_
सकता है।	परिवर्तन किया जा	• कार्यभार के आधार पर			2
			समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	साधारण केन्द्रीय सेवा	3
				स्तर 11	4
				चयन	Ċħ
				लागू नहीं होता	6

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, व 50 प्रतिशत

10

प्रतिनियुक्ति द्वारा

(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	सचिवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'डी' या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल हो या सीमा सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकेडमी	वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवालय बनेगी: प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय	प्रोन्नति : ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान में पाँच	1	
2. उप–महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क	1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल — अध्यक्ष	बनेगी:	पोन्नति : ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' विमागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान में पाँच विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके	12	
करना आवश्यक है।	ानयुक्त करत समय संघ लोक सेवा आयोग से प्रामर्श	अंतर्गत अत्पकालिक संविदा भी है) पर	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके	13	

अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। विचार किया जाएगा, परंतु पर राज्य उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा 5 Hol वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 3. चार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध 10 विकास मंडल

सदरय

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा अनुसंधान संस्थानों भी है) : केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त सरकारी या वैधानिक या सार्वजनिक क्षेत्र

समूह 'क' विभागीय प्रोन्निति समिति (प्रोन्निति के लिए किसी अधिकारी को विचार करने के लिए) निम्निलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय । 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल — अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श । 2. उप—महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क । महानिदेशालय — सदस्य करना आवश्यक है। 1 विदेशक अथवा उप—सचिव, सीमा सड़क		1 1			-	_	_			_
हूं 'क' विमागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को गी:	ίω		N	-			97	विर	सम	
'क' विमागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सिया सोड़क विकास मंडल — अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं। — सदस्य — सदस्य	न	븄	H	4			∄	7	N	
े विभागीय प्रोन्निते समिति (प्रोन्निते के लिए किसी अधिकारी को करने के लिए) निम्निलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) पर नियुक्त करते समय संघ लोक संवा आयोग से परामर्श हानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क — सदस्य करना आवश्यक हैं। इशालय — सदस्य	र्थ	<u>∃</u>	뵤	d				ni	कं	
वेमागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को ते के लिए) निम्नलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय मा सड़क विकास मंडल — अध्यक्ष संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं। नियुक्त करते समर्था करना आवश्यक हैं। नियुक्त करते समर्था अध्या उप–सचिव, सीमा सड़क	ঠা	देश	ह्य	4				2	-	
मिय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के लिए किसी अधिकारी को के लिए) निम्निलेखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक संवा आयोग से परामर्श करनी आवश्यक हैं। पर स्विदा, सीमा सड़क — सदस्य	भुध्य	ब	देश	프					वेम	
य प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को लिए) निम्नलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्सकालिक संविदा भी हैं) पर नियुक्त करते समय के विकास मंडल — अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करनी आवश्यक हैं। (कार्मिक), सीमा सड़क — सदस्य	=	בנ	9	4				S	3	
प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के लिए किसी अधिकारी को लेए) निम्निलेखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय विकास मंडल – अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करना आवश्यक हैं। - सदस्य	34-		क	8				<u>a</u>	4	
प्रति सिमिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को निम्नलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सिवदा भी है) पर नियुक्त करते समय कास मंडल — अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करना आवश्यक हैं। कर, सीमा सड़क — सदस्य	ᠴ		±	विव				Ä	प्रो	
समिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को निम्नलिखित से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय मंडल – अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं। स्तिम सड़क	येव		<u>भ</u>	한				_	l k	
मिति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को निलिखत से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक संवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं। ।मा सड़क — सदस्य ।मा सड़क	4		ক	. #.				3	H	
ति (प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी को सिखत से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय न अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। सदस्य	चे		耳	ક ભ				#	\Rightarrow	
(प्रोन्नित के लिए किसी अधिकारी को ध्रत से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय – अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं।	석		Y.					*	aP	
श्रिति के लिए किसी अधिकारी को से मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्सकालिक संविदा भी हैं) पर नियुक्त करते समय – अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करना आवश्यक हैं।	हक		3					d d	(h	
ते के लिए किसी अधिकारी को मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		1						4.	ञ	
के लिए किसी अधिकारी को मिलकर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		4		w				-	ay.	
लिए किसी अधिकारी को अक्तर्ग प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक संवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		द्		E				F	31	To the same of the latest designation of the
ए किसी अधिकारी को र प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		ᅺ		æ				रेक	व	
केसी अधिकारी को तिनियुक्ति (जिसके तिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा भी है) पर नेयुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।			. 0	(i) A	_	N	(1)	V	7	-
े अधिकारी को नेयुक्ति (जिसके ति अत्यकालिक दा भी हैं) पर करते समय लोक सेवा गि से परामर्थ 11 आवश्यक हैं।			24	भय	न्य	3	त्र	3	केर्स	-
अधिकारी को क्लि (जिसके अल्पकालिक भी हैं) पर करते समय लोक सेवा से परामर्थ			=	3	ă	凸	a	य	_	-
र्कारी को (जिसके संस्थकालिक हैं) पर स्ते समय के परामर्श हैं।			भाव	य य	Q	3	w	न	अधि	
री को (जिसके कालिक हैं) पर समय सेवा परामर्श			१यव	과 원	रते		त्य		क	
समय पर भेवा गमर्थ			হা	, q	41	OTE	d	(I)	4	
			_	म् स्	HH	Ч	लेव	Ald.	9.	
				<u> </u>	12	N	51	31		L

(a)	데 선
(E)	खायतशास जो:-
स्त्रु	
मूल काडर/ समतुल्य पद	सगढनो
1	3
विभाग में	अधीन
ा में नियमित ३ किए हए हों	रेश
ति आधार	अधिकारी

- नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हों ; या समकक्ष के काडर/विभाग में (11) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के नियुक्ति वेतनमान 31 # रतर 10 पश्चात् मूल
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं व अनुभव रखते हों :-

अरि

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
- टिप्पण कार्य तथा खरीद की हैण्डलिंग, आपूर्ति व स्टोर प्रबंधन सहित, के क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्य अनुभव। (11) प्रशासन व स्थापना, नकदी व लेखा, -ा : पोषक प्रवर्ग के जो प्रोन्नति की सीधी ऐसे विभागीय

अधिकतम आयु अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविद्ग भी है) पर नियुक्ति के लिए अवधि प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा भी शामिल) की अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्यय पद पर अतगत टिप्पण जाने के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए अधिकारी, भी शामिल है, पात्र नहीं होंगे। 2 अत्पकालिक प्रतिनियुक्ति की राविदा भी साधारणतया ४ सीधी पंकित में है अवधि (जिसके <u>5</u>*) वर्ष जिसके

अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सीमा आवेदन प्राप्त करने की

			2	_						अधिकारी	7.7 (2017)	व प्रधामिक	-
					जा सकता है।	परिवर्तन किया		17			53. (2017)	50 (00.1)	2
								के अननुसचिवीय	राजपित्रत,	सेवां, समूह 'क',	साधारण केंद्रीय	The second secon	ω
											रतर 10		4
											चयन	(ת
मानमा सम्बद्धा विश्वित की गई है)।	तथा चबा जिले के पांगी-उपखंड, अंडमान और निकाबार हीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के दिना निकाबार	लद्दाख खंड, हिमालच प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले	मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्म-कश्मीर राज्य के	तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश किलेक	नियत की गई अंतिम तारीख होगी /न कि न	तारीख भारत में अभ्यधियों से आतेन्त्र मान नाने ने	टिप्पण:- आय-सीमा अवशानित करते हे है	का जा सकता ह)।	ने जुरार सरकार। कमचारिया के लिए 5 वर्ष तक शिथिल	के अनुमान नामके नहीं (कन्द्रीय संस्कार द्वारा जारी निर्देशों	35 वर्ष से अहित्र नहीं (ने तेन	6	

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए, शिथिल की जा सकती है।	वांछनीयः कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर/ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	 (11) सरकारी कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ वैधानिक संस्थान में लेखा, प्रशासन व स्थापना कार्यों में 3 वर्ष का अनुभव। 	 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक। 	अनिवार्यः	7
			शैक्षिक योग्यता – हां।	आयु – नहीं।	8
		-	वाल व प्रान्नत हान वालों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती किए जाने	9
		५० भावशव साधा भवा द्वारा।	हारा ; व	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, व	10

(11) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान में मूल काडर या विभाग में नियुवित के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो ; या	(क) (1) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद घारण किए हुए हैं ; या	प्रतिनियुक्ति : कंदीय या राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :-	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	पिरहान देशा अपनी उच्चतर श्रेणी में सीमा सड़क महानिदेशालय पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में सीमा सड़क महानिदेशालय	उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित 2. उप–महानिदेशक कार्मिक	पित्रता संवा के आप से आपक्ष रहें कि में ने हो और 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल	यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी समूह 'क' विभागीय पुष्टि : अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या निम्नितिखित से मिलकर बनेगी :	के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु 4. महानिदेशक, सीमा सड़क	번 한 라 라	عاد `٦١٠	है।।	साजाह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल	प्रशासन, स्थापना तथा लेखा के क्षेत्र में चार	जिन्होंने वेतन मंट्रिक्स के स्तर 7 के वतनमान 1. अध्यक्ष या सदस्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और	ः ऐसे सहायक प्रशासनिक	11	
			1	. 1	2. उप-महानिदेशक कार्मिक,	1	ऐसी समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जो ह या निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	1	संयुक्त सचिव - स	संगठन के कार्य देखने वाले	3. रक्षा मंत्रालय में सीमा सड़क	2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष	1. अध्यक्ष या सदस्य,	अधिकारी समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :-	12	
		-	सदस्य	सदस्य		अध्यक्ष	<u>जो</u>	सदस्य	सदस्य			RA	EL.	आवश्यक है।	अवसर पर संघ लोव	13	

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule. Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal

- 6. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it
- be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to

SCHEDULE

	A commission to spin or a spin print the spin state of the spin st		Section in the second contract of the second	Annual control of the	
			Ministerial	workload	
		No.	Gazetted, Non-	dependent on	
			Service, Group 'A'	*Subject to variation	(Administration)
Not applicable	Selection	Level 13	General Central	2* (2017)	1. Director
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	selection post.				
recruits.	post or non-	Pay Matrix. post or non-			
Age limit for direct	Level in the Whether selection Age limit for direct	Level in the	Classification.	Number of post.	Name of post.

Not applicable	(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits
Not applicable	(8)	Educational and other qualifications qualifications Qualifications prescribed for required for direct recruits direct recruits will apply in the case of promotees
Not applicable	(9)	Period of probation, if any
By promotion	(10)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

		successfully completed probation period for
		service or two years, whichever is less and have
		more than half of such qualifying or eligibility
	Border Roads - Member	the requisite qualifying or eligibility service by
	J. Checker Celebra	also be considered provided they are not short of
	3 Director General	considered for promotion, their seniors would
		qualifying or eligibility service are being
	Development Board - Member	Note: Where juniors who have completed their
	Borde	Organisation.
	Samuel Danda	the training academy or school of Border Roads
	Service Commission -Chairman	Training and Management, Delhi or Training in
	man or Member, U	or Equivalent from Institute of Secretariat
		level 'F' for Central Secretariat Service Officers
necessary.		grade and has successfully completed training of
Commission not	100	Pay Matrix with five years' regular service in the
Public Service	Committee, (for considering	Joint Director (Administration) in Level 12 in the
Consultation with Union	Group 'A' Departmental Promotion	Promotion:
(13)	(12)	(11)
recruitment		
consulted in making		made
Commission is to be	composition	promotion or deputation or absorption is to be
Union Public Service	Committee exists, what is its	deputation or absorption, grades from which
Circumstances in which	If a Departmental Promotion	In case of recruitment by promotion or
And the second control of the second control		

0

आय प्रतिनियुवित पर नियुक्ति के लिए कद्रीय प्रोन्नि नियुक्ति तारीख को साधारणतया पहले धारित किसी सगतन/विभाग में (प्रतिनियुक्ति की जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रोत्रति की पोषक प्रवर्ग के (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निधारित शैक्षिक सीमा आवेदन प्रतिनियुक्ति होंगे। (।।।) जिन्होंने वेतन NB सरकार के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। सीधी पवित में है, प्रतिनियुक्ति पर नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा इसी प्रकार । नियुक्ति के की हो ; और विभाग में लिय 3 वर्ष से वेतनमान ऐसे विभागीय अधिकारी, 의 विचार किए जाने अवधि, अन्य कांडर बाह्यय पद H S प्राप्त उसी नियुक्ति योग्यताएं अधिक नहीं अवाध प्रतिनियुक्त व्यक्ति हे लिए विचार किए 4 मेट्रिक्स करन नियुक्ति से या जिसके भूल शामल किसी अधिकतम q काडर के पात्र अंतर्गत पश्चात् होगी। टीक अन्य या

फा. सं बी.आर.डी.बी. / 01 / 1029 / 2010 / जीई—1(पीसी—03) / 263 / 2017 / रक्षा नियुक्तियाँ]

दलपत सिंह, अवर सचिव

(DEPARTMENT OF DEFENCE)

(BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD)

New Delhi, the 6th June, 2017

General Reserve Engineer Force, Border Roads Organisation, namely :rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts (Administrative Cadre) in the Ministry of Defence, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Recruitment Rules, 2003 and General Reserve Engineer Force (Non-Technical Officers) Recruitment Rules, 2003. supersession of the General Reserve Engineer Force Director (Administration) and Joint Director (Administration) -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in

- Organisation, General Reserve Engineer Force, Administrative Officer Cadre, Group 'A' posts, Recruitment Rules, Short title and commencement - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Border Roads
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
- and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule w Number of posts, Classification and Level in the Pay Matrix - The number of said posts, their classification
- other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and
- 5. Disqualification. No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

		(Auministration)	2 Joint Director	
workload	dependent on	*Subject to variation	19* (2017)	(2),
Ministerial	Gazetted, Non-	Service, Group 'A'	General Central	(3)
		TCAEL 17	I aval 10	(4)
		Selection	(5)	(5)
	applicable	Not	(6)	

		Not applicable		3
	applicable.	Not	(6)	(8)
11	Not applicable		(9)	
By promotion.		(10)	(10)	

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such whichever is less and have successfully completed grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	inistrative Officer in Level 11 in the Pay regular service in the grade cessfully completed training of the level ntral Secretariat Service Officers or from Institute of Secretariat Training and L. Delhi or Training in the training school of Border Roads Organisation.	Promotion:
3. Director General Border Roads - Member	Group 'A' Departmental Promotion Committee, (for considering Upromotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Border Roads Development Board - Member	(12)
	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	(13)

Officer,	3. Senior
variation dependent on workload.	(2) (2017)
Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	(3) General Central
	(4) Level III
SEJECTION	(5)
Not applicable	(6)

	(7) Not applicable
	(8) Not applicable
contract	(9) Not applicable 50%
short-	50% by promotion, and 50% by

(B) possessing the following Educational Qualifications and Experience:- (i) Degree from a recognised University. (ii) Five years' working	with five years' ser- the grade rendered a cointment thereto o cular basis in Level 1 Pay Matrix uivalent in the pa fre/Department; and	Institutions or Public Sector Undertaking or Semi- Government or Statutory or Autonomous Organisations:- (A) i) holding analogous post on regular basis in the	(including co) der the Centernments or or Universit Re	half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along - with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than	Service Officers or Equivalent from Institute of Secretariat Training and Management, Delhi or Training in the training academy or school of Border Roads Organisation.	in the Pay Matrix rs' regular service de and has sompleted training of	Promotion: Administrative Officer in Level
						2. Deputy Director General (Personnel), Directorate General Border Roads 3. Director or Deputy Secretary, Border Roads Development Board	Border Roads nent Board	Group 'A' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion) consisting of:-
		•				-Member -Member	airmar	on Committee, (for consisting of:-
						(including short-term contrac).	Commission necessary while appointing an officer on deputation	Consultation with Union Public Service

accounts, experience in management of stores. purchase, haradling establishment administration of supply works the field of cash including and and and

appointment by promotion. deputationists absorption. appointment on deputation or Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible eligible for for. Note -consideration The shall Departmental not Similarly, for-

of applications as on the closing date of receipt appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years other maximum 0 Government shall ordinarily not appointment in the same or some (including short-term contract) in another ex-cadre post held (including short-term contract) including period of deputation Note 2: Period of deputation Department immediately exceed Organisation four years. of the preceding age-limit Central The this for 0

				Officer.	4. Administrativa
	- 1	on workload.	variation dependent	*Subject to	(2)
		Non- Ministerial.	Service, Group 'A' Gazetted,	General Central	(3)
				Level 10	(4)
		4. 4.		Selection.	(5)
India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in	Note: The crucial date for determining	accordance with the instructions or orders	Not exceeding 35 years (Relaxable for	

Essential: (i) Degree from a recognised University/Institute. (ii) Three years' experience of Accounts, Administration and establishment work in a
(8) ge: No. lucational ualifications:- Yes.
(9) Two years for direct recruits and
Two years 50% by promotion for direct failing which by recruits Deputation, and 50% by Direct

Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Master's of Business Administration/Post Graduate Diploma in Management.	Government Office/Public Sector Undertaking/Autonomous Body/ Statutory Body.
			promotees.
			Recruitment.

them

							0770	- ·	× > ×	
(B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and	(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or	(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or	Deputation: Officers under the Central/State Governments/Union Territories;	qualifying or eligibility service.	qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith	qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	the field of administration, establishment and accounts. Note: 1. Where impose who have completed their	Promotion: Assistant Administrative Officer in Level 7 in the Pay Matrix with three years regular service in the Grade and engagesfully completed training of four weaks in	(11)
	3. Director or Deputy Secretary, Border Roads Development Board - Member	2. Deputy Director General (Personnel), Directorate General Border Roads - Member	 Secretary, Border Roads Development Board - Chairman 	Group 'A' Departmental Confirmation Committee:	4. Director General Border Roads - Member	3. Joint Secretary dealing with the Border Roads Organisation in the Ministry of Defence - Member	2. Secretary, Border Roads Development Board -Member	Union Public Service Commission -Chairman	Group 'A' Departmental Promotion Committee:	(12)
				2				necessary on each occasion.	Consultation with Union Public Service	(13)